लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/20/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 10.03.2021
GCMS NO:- 2021/100

श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर), जिला उदयपुर

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 20/2021/(06.04)/256 दिनांक 10.03.2021 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला को दिनांक 06.04.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 06.04.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला ने अपने पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार अधिनियम–2005/2021/241 दिनांक 23.03.2021 से कमेन्ट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 20 / 2021 (सू.अ.)
श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर) बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला

प्रार्थी श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2021 को जरिये ड़ाक कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना किस समयावधि की है तथा पत्रावली संख्या, दिनांक आदि की जानकारी का पूर्ण अभाव होने से प्रार्थी को अपूर्ण जानकारी व प्रश्नोत्तर के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने बाबत् कार्यालय द्वारा पत्रांक / रीडर / सू.का अधि. / 2021 / 173 दिनांक 17.02.2021 से उक्त सूचना से जरिये ड़ाक सूचित किया गया। अतः प्रार्थी को नियत समयावधि में उपरोक्तानुसार सूचना से अवगत कराया गया है। प्रार्थी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला द्वारा अपने पत्रांक / रीडर / सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 / 2021 / 241 दिनांक 23.03.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 28.01.2021 से पटवार हल्का मंगलवाड़ के खसरा संख्या 2138 / 217 भूमि किस आदेश संख्या व अधिकारी कार्यालय से आदेशित होकर आबादी में संपरिवर्तन होकर राजस्व रेकार्ड में किस वर्ष में दर्ज हुई उन दस्तावेजों की सूचना चाही गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है किन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की पत्रावली संख्या, दिनांक आदि जानकारी का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया है तथा सूचना भी प्रश्नात्मक रूप में चाही गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक / प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 20/2021 (सू.अ.)
श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर) बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला

व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" अतः इस संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार अधिनियम–2005/2021/173 दिनांक 17.02.2021 से सूचित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला द्वारा जरिये पत्रांक/रीडर/सूचना का अधिकार अधिनियम–2005/2021/173 दिनांक 17.02.2021 से सूचित किया जा चुका है जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(के. के. शर्मा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./20/2021(सू.अ.)/310 दिनांकः– 07/04/2021

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, डूंगला
2. श्री श्याम लाल व्यास निवासी नारायणपुरा (भीण्डर) जिला उदयपुर–313603

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)